भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2629
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आदर्श कारागार नियमावली

2629. डॉ. संबित पात्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई आपराधिक विधियों की मुख्य विशेषताएँ क्या है और उनमें त्वरित तथा वहनीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त विधियों में "अनुपस्थिति में विचारण' के लिए कोई उपबंध किया गया है;

(ग) क्या आदर्श कारागार नियमावली नई आपराधिक विधियों के अनुसार तैयार की गई है;

(घ) नई आपराधिक विधियाँ और आदर्श कारागर नियमावली कारागारों में भीड़भाड़ को कम करने में किस प्रकार सहायक होंगे; और

(ङ) नई आपराधिक विधियों और आदर्श कारागार नियमावली के कार्यान्वयन से हाल के वर्षों में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): त्वरित तथा वहनीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनयम (बीएसए), 2023 के प्रावधानों का ब्योरा निम्नुसार हैं:

(i) त्वरित और निष्पक्ष निपटान: नए कानून, मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच (14 दिन में पूरी की

जानी), बाद की जांच (90 दिन में पूरी की जानी), पीड़ित और अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध कराना (14 दिन के भीतर), विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता (90 दिन के भीतर), डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना (60 दिन के भीतर), आरोप तय करना (60 दिन के भीतर), निर्णय देना (45 दिन के भीतर) और दया याचिका दायर करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन में) जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित करके निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(ii) त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

(iii) स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने एवं समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो स्थगन का प्रावधान किया गया है।

(iv) न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। जहां ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्यों के वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है, वहीं ई-समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की सुविधा देता है, जिससे प्रक्रिया तेज, समयबद्ध और आसानी से ट्रैक करने योग्य हो जाती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करता है।

(ख): बीएनएसएस, 2023 में एक नई धारा 356 जोड़ी गई है, जिसमें उद्घोषित अपराधियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के लिए अनुपस्थिति में विचारण का एक नया प्रावधान न्यायालय को आरोपी व्यक्ति की अनुपस्थिति में विचारण संबंधी कार्रवाई करने और निर्णय सुनाने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्याय में ना तो देरी हो और ना ही इससे वंचित रखा जाए।

(ग): इस मंत्रालय ने वर्ष 2016 में आदर्श कारागार नियमावली तैयार की थी, जबकि नए आपराधिक कानून दिनांक 01.07.2024 से लागू हुए हैं।

(घ) और (ङ): जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) बीएनएसएस, 2023, की धारा 290 में, प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध किया गया है और प्ली बार्गेनिंग में आवेदन, आरोप तय होने की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग के मामले में, यदि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है और उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, तो न्यायालय बीएनएस, 2023, की धारा 293 के तहत मामले का एक पारस्परिक संतुष्टिपूर्ण निपटान करते हुए इस प्रकार के अपराध हेतु ऐसे आरोपी व्यक्ति को निर्धारित दंड के एक-चौथाई/एक-छठवें भाग के दंड की सजा दे सकता है।

(ii) विचाराधीन कैदी को कैद में रखने की अधिकतम अवधि का निर्धारण बीएनएसएस, 2023, की धारा 479 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है (जिसे पूर्व में किसी अपराध के लिए कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है) और यदि उसे उक्त कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्धारित कैद की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि के लिए कैद में रखा जा चुका है, तो उसे न्यायालय द्वारा बॉन्ड के तहत रिहा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे।

(iii) पहली बार, सामुदायिक सेवा को एक सजा के रूप में शामिल किया गया है।

(iv) आदर्श कारागार नियमावली 2016 में "कानूनी सहायता" और "विचाराधीन कैदी" पर अध्याय हैं, जो विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं अर्थात् कानूनी सुरक्षा, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता के लिए अदालतों को आवेदन करने आदि का विवरण प्रदान करते हैं, जो जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करते हैं।

*****